150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

भीम BHIM

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर (राज.) 302005

क्रमांकः– प.23(17) परि/प्र.नि./योजना/2017/पार्ट–I/22098 जयपुर, दिनांक 27/11/2020

संशोधन आदेश

परिवहन विभाग द्वारा आदेश क्रमांक प.23(01) परि/प्र.नि/योजना/2017 दिनांक 04.10.2017 के द्वारा राजस्थान मोटरयान प्रदूषण जांच केन्द्र योजना (ऑनलाईन)–2017 की धारा 16 (i) व 16 (iv) के अन्तर्गत निम्नानुसार संशोधन किया जाता हैः–

16. **वाहन निर्माता का अधिकृत वर्कशॉप/डीलर/पेट्रोल पम्प पर प्रदूषण जांच –**

(i) विभाग द्वारा अधिकृत वाहन डीलर्स, जिन पर वाहन निर्माता वर्कशॉप उपलब्ध है, को प्रदूषण जांच केन्द्र का प्राधिकार पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। इनमें कृषि ट्रेक्टर, पावर टिलर, कम्बाईन हार्वेस्टर आदि कृषि उपकरण तथा संनिर्माण उपकरण जिन पर प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के संबंध में TREM/CEV Standards लागू है, उनके डीलर्स के लिये प्रदूषण जांच केन्द्र का प्राधिकार पत्र लेना अनिवार्य नहीं होगा।

उक्त कृषि व संनिर्माण उपकरणो के अलावा नये स्थापित होने वाले वाहन डीलर्स को ट्रेड सर्टिफिकेट आवेदन के साथ वाहन प्रदूषण जांच केन्द्र प्राधिकार पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा जो डीलर्स वर्तमान में कार्यरत हैं उनको भी ट्रेड सर्टिफिकेट नवीनीकरण आवेदन के साथ वाहन प्रदूषण जांच केन्द्र प्राधिकार पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(iv) कृषि कार्य में उपयोग होने वाले तथा संनिर्माण उपकरणों के अधिकृत वाहन डीलर्स के अलावा पेट्रोल वाहनों के अधिकृत वाहन डीलर के लिए पेट्रोल वाहनों की जांच हेतु प्रदूषण जांच केन्द्र का प्राधिकार पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा तथा डीजल वाहनों के लिए डीजल वाहन की जांच का प्राधिकार पत्र लिया जाना अनिवार्य होगा। ऐसे वाहन डीलर, जहां पेट्रोल एवं डीजल दोनों प्रकार के वाहनों हेतु वाहन निर्माता का अधिकृत वर्कशॉप है, को पेट्रोल एवं डीजल दोनों प्रकार के वाहनों हेतु प्रदूषण जांच केन्द्र का प्राधिकार पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

(रवि जैन)
शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त

Phone : 0141-2740021, 2850600, Fax :0141-2740177, Email : transport@rajasthan.gov.in/ transport.pollution@rajasthan.gov.in, Web : www.transport.rajasthan.gov.in